



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 14 नवम्बर, 2024 / 23 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 05th November, 2024

No.Agr.B-F(8)-5/2012-Kangra.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (2) (3) of Section 30 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing
172—राजपत्र / 2024—14—11—2024 (7781)

(Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Agricultural Produce Market Committee, Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect. The following will be its Ex-Officio/ Non-Official members:—

A. Ex-Officio Members

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Deputy Commissioner, Kangra, District Kangra, H.P. | <i>Vice-Chairman</i> |
| 2. | Deputy Director, Agriculture, Kangra, Distt. Kangra, H.P. | <i>Member</i> |
| 3. | Deputy Director, Horticulture, Kangra, Distt. Kangra, H.P. | <i>Member</i> |
| 4. | Deputy Director, Animal Husbandry, Kangra, Distt. Kangra, H.P. | <i>Member</i> |
| 5. | Incharge, Krishi Vigyan Kendra, Kangra, Distt. Kangra, H.P. | <i>Member</i> |
| 6. | Secretary, Market Committee, Kangra, Distt. Kangra, H.P. | <i>Member</i> |

B. Non-Official Producer Members

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Chaudhary Narender Kumar, VPO Ichhi, Tehsil and District Kangra, Himachal Pradesh-176209. | <i>Member</i> |
| 2. | Sh. Ravinder Kumar s/o Sh. Paras Ram, VPO Kharota, Tehsil Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 3. | Sh. Pritam Chand s/o Sh. Jat Ram, VPO Baldhar, Ward No. 01, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 4. | Sh. Kartar Singh s/o Sh. Gian Chand, Village Palyar, P.O. Gharna, Tehsil Khundia, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 5. | Sh. Rajiv Kumar s/o Sh. Jaishi Ram, Ward No. 19, Ram Chownk, P.O. & Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 6. | Sh. Suresh Kumar s/o Late Sh. Jagroop Singh, VPO Rait, Tehsil Shahpur, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 7. | Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Dharam Singh Village Bela Thakran, P.O. Riyali, Tehsil Fatehpur, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 8. | Sh. Jaswant Singh s/o Sh. Tarlok Singh, VPO Tambar, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, Himachal Pradesh. | <i>Member</i> |
| 9. | Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Lal Chand, VPO Bankhandi, Tehsil Haripur Dehra, District Kangra (H.P.)-177114 (98162 21219). | <i>Member</i> |

C. Non-Official Trader Member

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Sh. Rohit Jamwal s/o Sh. Jagdev Jamwal, Village Nagan, P.O. Khadanal, Tehsil Baijnath, District Kangra, Himachal Pradesh (9805871773). | <i>Trader
Member</i> |
|----|--|--------------------------|

The above Committee shall conduct its business subject to the provisions of the above Act.

Term of Office

- Every non-official member shall hold the office during the pleasure of State Government. The term of an Ex-Officio member of the Committee shall come to an end, as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.
- The Committee shall elect from amongst its members a Chairman.
- The non-official members shall be entitled to TA/DA as per Government Rules.

By order,
Sd/
Secretary (Agriculture).

LAW DEPARTMENT**NOTICE**

Shimla-2, the 7th November, 2024

No. LLR-E(9)-7/2018-Leg.— Whereas the following Advocate of District Chamba, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against her name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956;

Sl. No.	Name of Advocate	Area for which he applied for appointment of Notary
1.	Ms. Ruhana Sheikh d/o Sh. Nazir Mohammad Sheikh, r/o Ward No. 6, Main Bazar Chowari, District Chamba (H.P.).	Tehsil Bhatiyat (Chowari) District Chamba (H.P.).

Therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Legn, dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra (e-Gazette) H.P. against her appointment as a notary in Tehsil Bhatiyat (Chowari) of District Chamba.

Sd/-
RAJINDER SINGH TOMAR,
(Competent Authority),
Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law).

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th November, 2024

No. PWD-(B)-F0 (5)/9/2024.—In continuation to this Department Notification No. PBW(B&R)(B)F(7)-2/2018-I, dated 30-08-2024, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "**Binayakghat to Bandla Sihra Bilaspur Road**" in District Bilaspur, H.P. having a length of 23 Km. as Major District Road No. 124 at Sl. No. 115.

Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 4837.980 kms.

By order/-
Sd/-
(Dr. ABHISHEK JAIN),
Secretary (PW).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तिलक राज पुत्र श्री प्यारू राम, निवासी मुहल्ला/गांव धडोग चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2293/2024, दिनांक 25-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-19656, दिनांक 16-12-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री तिलक राज, निवासी मुहल्ला/गांव धडोग चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता की मृत्यु तिथि 04-11-2021 किन्हीं कारणों से नगर परिषद् चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी मृत्यु तिथि को नगर परिषद चम्बा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री तिलक राज, निवासी मुहल्ला/गांव धडोग चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता की मृत्यु तिथि 04-11-2021 को नगर परिषद चम्बा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की मृत्यु तिथि 04-11-2021 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

मोहम्मद रोशन पुत्र शेर मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव कुंडा, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2290/2024, दिनांक 29-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10447, दिनांक 18-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी मोहम्मद रोशन पुत्र शेर मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव कुंडा, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05-04-1980 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चम्बी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहम्मद रोशन पुत्र शेर मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव कुंडा, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05-04-1980 को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 05-04-1980 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

दुर्गो पुत्री महेशु, निवासी मुहल्ला/गांव छपरोथा, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जटकारी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4448/2024, दिनांक 25-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-18130, दिनांक 24-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया दुर्गो पुत्री महेशु, निवासी मुहल्ला/गांव छपरोथा, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 09-09-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जटकारी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जटकारी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया दुर्गो पुत्री महेशु, निवासी मुहल्ला/गांव छपरोथा, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 09-09-1965 को ग्राम पंचायत जटकारी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 09-09-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

बिशन दास पुत्र हुशियारू, निवासी मुहल्ला/गांव ओडरा, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2277/2024, दिनांक 22-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10436, दिनांक 18-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी संतोष कुमार पुत्र बिशन दास, निवासी मुहल्ला/गांव ओडरा, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 02-03-2006 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी संतोष कुमार पुत्र बिशन दास, निवासी मुहल्ला/गांव ओडरा, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 02-03-2006 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 02-03-2006 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

सन्तोष देवी पुत्री भागो, निवासी मुहल्ला/गांव पियुगंज, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोलका, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2495/2024, दिनांक 06-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा

अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9788, दिनांक 03-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सन्तोष देवी पुत्री भागो, निवासी मुहल्ला/गांव पियुगंज, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 24-06-1998 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोलका के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोलका के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सन्तोष देवी पुत्री भागो, निवासी मुहल्ला/गांव पियुगंज, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 24-06-1998 को ग्राम पंचायत कोलका के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 24-06-1998 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

सिंह पुत्र ध्याना, निवासी मुहल्ला/गांव गाहर, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2108/2024, दिनांक 14-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10116, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी सिंह पुत्र ध्याना, निवासी मुहल्ला/गांव गाहर, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सिंह पुत्र ध्याना, निवासी मुहल्ला/गांव गाहर, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

शकुन्तला पुत्री किरपा राम, निवासी मुहल्ला/गांव झगरौता, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2116/2024, दिनांक 14-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-12630, दिनांक 04-08-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया शकुन्तला पुत्री किरपा राम, निवासी मुहल्ला/गांव झगरौता, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 16-10-1975 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शकुन्तला पुत्री किरपा राम, निवासी मुहल्ला/गांव झगरौता, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 16-10-1975 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-10-1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

धनी राम पुत्र सियोरमा राम, निवासी मुहल्ला/गांव कल्लेहल, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2147/2024, दिनांक 15-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-18987, दिनांक 04-12-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी धनी राम पुत्र सियोरमा राम, निवासी मुहल्ला/गांव कल्लेहल, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 28-07-1987 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धनी राम पुत्र सियोरमा राम, निवासी मुहल्ला/गांव कल्लेहल, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 28-07-1987 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 28-07-1987 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

राधा पुत्री घिमो राम, निवासी मुहल्ला/गांव सरा, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2097/2024, दिनांक 13-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8895, दिनांक 18-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया राधा पुत्री घिमो राम, निवासी मुहल्ला/गांव सरा, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05-02-1993 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया राधा पुत्री घिमो राम, निवासी मुहल्ला/गांव सरा, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05-02-1993 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-02-1993 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

लाम्बी पुत्री गिडदू, निवासी मुहल्ला/गांव कल्हेला, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या /2024, दिनांक 18-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9065, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया लाम्बी पुत्री गिडदू, निवासी मुहल्ला/गांव कल्हेला, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 30-11-1967 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया लाम्बी पुत्री गिडदू, निवासी मुहल्ला/गांव कल्हेला, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 30-11-1967 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह अस्सालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 30-11-1967 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

अशोक कुमार पुत्र रसालू, निवासी गांव/मुहल्ला मंडोलू, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रसालू, निवासी गांव/मुहल्ला मंडोलू, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा व उसके आधार कार्ड में अशोक कुमार दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अशोक दर्ज

कागजात माल है जो की गलत है, तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में अशोक की बजाये अशोक कुमार दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की यदि अशोक के नाम को अशोक कुमार दुरुस्त करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

अवनी राना पुत्र मनिंदर सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव बरौर, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4779, दिनांक 10-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-19196, दिनांक 09-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड जिसमें प्रार्थी मनिंदर सिंह पुत्र जीवन सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव बरौर, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके लड़के की जन्म तिथि 23-04-2011 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके लड़के की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मनिंदर सिंह पुत्र जीवन सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव बरौर, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके लड़के की जन्म तिथि 23-04-2011 को ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि 23-04-2011 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

साहबनु पुत्र रसालू निवासी गांव/मुहल्ला मंदोलु, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी साहबनु पुत्र रसालू निवासी गांव/मुहल्ला मंदोलु, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा में साहबनु दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम साहबो दर्ज कागजात माल है जो की गलत है, तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में साहबो की बजाये साहबनु दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की यदि साहबो के नाम को साहबनु दुरुस्त करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह, 2. सिमरनजीत सिंह वालिया पुत्र नरिन्द्र सिंह, 3. जसवीर कौर वालिया पत्नी श्री नरिन्द्र सिंह सभी निवासी मकान नं0 01, आर अबरोल नगर पठानकोट, पंजाब।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2022—23 मुहाल मोती टिब्बा के खाता खतौनी नं0 155, मिन/231, खसरा नं0 455, पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में कब्जा स्वयं मुख्तलिफ किरायदारान दर्ज है। जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 25—11—2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके किरायेदार दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25—10—2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 19 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका : /2024—751—52

दिनांक : 29—10—2024

कविता देवी पुत्री ज्ञान चन्द, गांव बन्दोखी, डाकघर सालवा, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11687, दिनांक 13—06—2024, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार नकल जिसमें आवेदिका श्रीमती कविता देवी पुत्री ज्ञान चन्द, गांव बन्दोखी, डाकघर सालवा, ग्राम पंचायत सालवा, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कविता देवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 13—06—2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कविता देवी पुत्री ज्ञान चन्द, गांव बन्दोखी, डाकघर सालवा, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 12—08—1977 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं।

अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती कविता देवी पुत्री ज्ञान चन्द, गांव बन्दोखी, डाकघर सालवा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सालवा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका : / 2024-749-50

दिनांक : 29-10-2024

नीलमा देवी पुत्री हुशियारू राम, गांव व डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

वादि्या।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-14989, दिनांक 16-08-2024, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार नकल जिसमें आवेदिका श्रीमती नीलमा देवी पुत्री हुशियारू राम, गांव व डाकघर सालवा, ग्राम पंचायत सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका नीलमा देवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 16-08-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीलमा देवी पुत्री हुशियारू राम, गांव व डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05-07-1984 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती नीलमा देवी पुत्री हुशियारू राम, गांव व डाकघर सालवा, की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सालवा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विकास गुरुंग सुपुत्र श्री खडक बहादुर गुरुंग, निवासी भेकड, डा0 व उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम विकास गुरुंग है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा जरेई में गलती से विकास कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दंडाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

करिश्मा देवी सुपुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी गांव चलामा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया करिश्मा देवी सुपुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी गांव चलामा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 18-02-1982 है, जोकि ग्राम पंचायत चलामा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया करिश्मा देवी सुपुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चलामा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दंडाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दंडाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नवजीत गुरुंग सुपुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी गांव चलामा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी श्री नवजीत गुरुंग सुपुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी गांव चलामा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 04-04-1986 है, जोकि ग्राम पंचायत चलामा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री नवजीत गुरुंग सुपुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चलामा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दंडाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Sh. Kartar Chand, Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, District Kangra (H.P.)

Smt. Shakuntla Devi d/o Lt. Sh. Bhagwan Singh s/o Lt. Sh. Sham Singh, r/o Village Jalahari, P.O. Chatri, Tehsil Kangra, District Kangra (H.P.) wd/o Lt. Sh. Prem Singh s/o Lt. Sh. Ran Singh s/o Lt. Sh. Lakshman Singh, VPO Kot Plahari, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) at present VPO Bhadwar, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) . . Applicants.

V/s

1. General Public
2. Local Registrar, Gram Panchayat Manjhgran

. . Respondents.

Subject.— Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Shakuntla Devi d/o Lt. Sh. Bhagwan Singh s/o Lt. Sh. Sham Singh, r/o Village Jalahari, P.O. Chatri, Tehsil Kangra, District Kangra (H.P.) wd/o Lt. Sh. Prem Singh s/o Lt. Sh. Ran Singh s/o Lt. Sh. Lakshman Singh, VPO Kot Plahari, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) at present VPO Bhadwar, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that above applicant's birth 27th November, 1952 has not been entered/recorded in Gram Panchayat Manjhgran record due to unawareness of her parents as per affidavit alongwith application filed by the applicant.

Therefore by this proclamation the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of delayed birth event of applicant Smt. Shakuntla Devi, can file an objection personally or in writing before this court or before 15-11-2024 after that no objection will be entertained and delayed birth will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of Court of this 18-10-2024

Seal.

Sd/-
KARTAR CHAND,
Sub-Divisional Magistrate, Shahpur,
District Kangra (H.P.)

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, Exercising the powers of
Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)**

In Ref.

Sachin Kumar & Anita Devi

Versus

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the registration of marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Sachin Kumar s/o Sh. Rajinder Kumar at Village Sai Da Lahar (Bharanta), P.O. Sai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) and Anita Devi d/o Sh. Bali Ram, r/o Jerhal Sehlana, P.O. Shehrol, Tehsil Arki, District Solan, H.P.-173221 to register their marriage which was solemnized on 22-08-2024 at Shri Mata Mansha Devi Mandir (Chamunda Mandir), District Kangra, H.P. if

there is any objection on this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 22-11-2024 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-S.D.M.,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).*

**Office of the Marriage Officer-cum-Divisional Magistrate, Jaisinghpur,
Distt. Kangra, H.P. India**

In the matter of :

1. Sh. Shivam s/o Sh. Gian Chand, r/o Village & P.O. Bheri Uparli, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).
2. Smt. Savita Kumari d/o Partap Chand, r/o Village & P.O. Nalahi, Tehsil Sujampur, Distt. Hamirpur, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Shivam and Smt. Savita Kumari have filed an application u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 25-11-2024. In case no objections is received by 25-11-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and the seal of the court of the 23-10-2024.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Divisional Magistrate,
Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the court of Sub-Divisional Magistrate, Excercising the powers of
Marriage Officer, Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Aman Kumar aged 24 years s/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Bhatar, P.O. Phakloh, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

2. Anu Kumari aged 22 years d/o Sh. Mohinder Singh, r/o Village Bohal Khalsa, P.O. Digger, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.). . . Applicants.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954 (Intended Marriage).

The above applications have filed an application u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954 along with affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to be solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the the objections personally or in writing before this office on or before 30-11-2024 at 11.00 A.M. The objection (s) after 30-11-2024 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this 21st day of October, 2024 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Divisional Magistrate,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Gaurav s/o Sh. Tarsem, r/o VPO Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175143

and

Sharda d/o Sh. Kali Bahadur, r/o Ward No. 6, Village Dobha, P.O. Bran, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.-175131 at present w/o Sh. Gaurav s/o Sh. Tarsem, r/o VPO Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175143.

Versus

General Public

Subject.—Application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Gaurav s/o Sh. Tarsem, r/o VPO Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175143 and Sharda d/o Sh. Kali Bahadur, r/o Ward No. 6, Village Dobha, P.O. Bran, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.-175131 at present w/o Sh. Gaurav s/o Sh. Tarsem, r/o VPO Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175143 has presented an application on 01-10-2024 in this court for

the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court within 30 days from the publication of this notice. In case no objection is received it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 7th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
*Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Manali, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Parth Kapoor s/o Sh. Subhash Chand, r/o H. No. 69/6 Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Kritika Kaushal d/o Sh. Manohar Lal Kaushal, r/o H.No. 31, Housing Board Colony Near DAV School Salasi, V.P.O. Daruhi, Tehsil & Distt. Hamirpur . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Parth Kapoor s/o Sh. Subhash Chand, r/o H. No. 69/6 Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Kritika Kaushal d/o Sh. Manohar Lal Kaushal, r/o H.No. 31, Housing Board Colony Near DAV School Salasi, V.P.O. Daruhi, Tehsil & Distt. Hamirpur (at present wife of Sh. Parth Kapoor s/o Sh. Subhash Chand, r/o H. No. 69/6 Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-11-2023 according to Hindu rites and customs at Hotel Royal Salasi, Hamirpur, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-11-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of October, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Gagan Deep Singh Nagpal s/o Sh. Inder Jeet Singh Nagpal, r/o B-10 Top Floor Left Portion Janta Colony Shivaji Vihar Tagore Garden, West Delhi-110027.
2. Smt. Yogina d/o Sh. Sant Ram, r/o H.No. 17/10 Bhagwahan Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Gagan Deep Singh Nagpal s/o Sh. Inder Jeet Singh Nagpal, r/o B-10 Top Floor Left Portion Janta Colony Shivaji Vihar Tagore Garden, West Delhi-110027 and Smt. Yogina d/o Sh. Sant Ram, r/o H.No. 17/10 Bhagwahan Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present wife of Sh. Gagan Deep Singh Nagpal s/o Sh. Inder Jeet Singh Nagpal, r/o B-10 Top Floor Left Portion Janta Colony Shivaji Vihar Tagore Garden West Delhi-110027) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-10-2024 according to Hindu rites and customs at Rupeshwari Mata Temple Rajmahal and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-11-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of October, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

Before The Asssistant Collector 2nd Grade, Dhalwan, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

Himu s/o Late Sh. Parma, r/o Village Janderyani, P.O. Patrihat, Sub-Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

Subject.—Notice for correction of father name in revenue record.

Whereas, Sh. Himu s/o Late Sh. Parma, r/o Village Janderyani, P.O. Patrihat, Sub-Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi, H.P. has filed an application in the court of undersigned in which he has stated that applicant and his father name was wrongly written as Him Singh s/o Sh. Prema in the revenue record of Patwar Circle Janderyani, while actual name of applicant and his father is Himu s/o Sh. Parma. He has also produced copy of Aadhar Card, Panchayat record and an affidavit in this regard alongwith nakkal jamabandi for the year 2021-22.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his/her objections either personally or through an agent in writing before this court on or before 20-11-2024. In case no objections is received by 20-11-2024, it will be presumed that there is no objection to the aforesaid correction and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 16th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Dhalwan, District Mandi (H.P.).

—————
**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Sawanu Ram s/o Sh. Jiwanu Ram, r/o Village & P.O. Jugahan, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

2. Meera Devi d/o Laxman Dass, r/o Village Nalsar, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

. . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Sawanu Ram and Meera Devi applicants have filed an application alongwith the affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 07-02-1987 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-11-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today 25th October, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Ritesh Nag s/o Bhuvneshwari Nag, r/o Ward No. 05 Shahpur, P.O. & Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).

2. Shipra Paul d/o Devinder Kumar, r/o Lalit Nagar, Near MLSM College Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.). . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Application for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Ritesh Nag and Shipra Paul applicants have filed an application alongwith the affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 10-10-2018 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-12-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today 01st November, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

Before The Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

Kripa Ram s/o Sh. Finju Ram, r/o Village Guhar Majhwari, P.O. U/Bhambla, Sub-Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice for correction of name in revenue record.

Whereas, Sh. Kripa Ram s/o Sh. Finju Ram, r/o Village Guhar Majhwari, P.O. U/Bhambla, Sub-Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi, H.P. has filed an application in the court of undersigned in which he has stated that his name was wrongly written as Kripa Ram s/o Sh. Finju in the revenue record of Patwar Circle Haran, Muhal Majhwari, while actual name of applicant is Kripa Ram s/o Sh. Finju Ram. He has also produced copy of Aadhar Card, Metric Certificate, Panchayat record and an affidavit in this regard alongwith Nakkal jamabandi for the year 2020-21.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his/her objections either personally or through an agent in writing before this court on or before 30-11-2024. In case no objections is received by 30-11-2024, it will be presumed that there is no objection to the aforesaid correction and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on November, 2024.

Seal.

Sd/-

*The Asssistant Collector 2nd Grade,
Dhalwan, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव दगाना, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) (पत्नी श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी गांव शिल्ली, डा0 बनेठी, तहसील नाहन)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव दगाना, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1972 (पुत्री श्री भगवान सिंह एवं श्रीमती कृष्णा देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत क्यारी (चाकली), नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव दगाना, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1972 ग्राम पंचायत क्यारी (चाकली), नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 23-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती निमा देवी पुत्री श्री अमर सिंह, गांव भराईना, ग्राम पंचायत बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती निमा देवी पुत्री श्री अमर सिंह, गांव भराईना, ग्राम पंचायत बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 20-03-1980 को ग्राम पंचायत बकरास के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि पहले दर्ज नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया के पिता ने भी हाजिर अदालत आकर ब्यान किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 20-03-1980 को हुआ है जिसे ग्राम पंचायत बकरास के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना उचित है क्योंकि अज्ञानतावश वह अपनी पुत्री निमा देवी का जन्म ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं कर सके।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि 20-03-1980 को ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 05-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि 20-03-1980 को ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शिलाई, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री दौलत राम पुत्र श्री अमर सिंह, गांव दिगवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री दौलत राम पुत्र श्री अमर सिंह, गांव दिगवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दलीप सिंह पुत्र अमर सिंह के स्थान पर दौलत राम पुत्र अमर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। क्षेत्रीय कर्मचारी की छानबीन, ब्यान प्रार्थी के भाई व संलग्न दस्तावेज से पाया गया कि प्रार्थी का सही नाम दौलत राम पुत्र अमर सिंह है जिसका नाम राजस्व अभिलेख में दलीप सिंह दर्ज है जो कि गलत है जिसे दुरुस्त करना उचित होगा।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दलीप सिंह पुत्र अमर सिंह के स्थान पर दौलत राम पुत्र अमर सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 05-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में मौजा बिन्दला दिगवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में दलीप सिंह पुत्र अमर सिंह के स्थान पर दौलत राम पुत्र अमर सिंह दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।